छोटी सी शुरूआत

मेवा भारती

एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने के दौरान मुझे विभिन्न प्रकार के अनुभव हुए हैं। मैं एक महिला कार्यकर्ता के रूप में महिला मुद्दों पर काम करती थी। इसी के साथ *विविधा*, जो एक महिलाओं की संस्था है, के साथ भी जुड़ी हुई थी। *विविधा* में मैं प्रवासी निर्माण मज़दूरों, तथा महिलाओं के साथ आमतौर पर होने वाले भेदभाव के मुद्दों से भी जुड़ी थी।

अपने काम के दौरान मैं रोज़ सुबह इन महिलाओं के बीच जाती थी। ये निर्माण मज़दूर महिलाएं श्रमिक मण्डी में अपना श्रम बेचने का इन्तज़ार करती थीं। मैं भी उसी समय इनके बीच जाकर इनसे दोस्ती करती। धीरे-धीरे इन महिलाओं के साथ दोस्ती बढ़ने लगी और मैंने इनके घरों में जाना शुरू किया। और यहीं से हमारे काम की शुरूआत हुई। इनका घर ज़्यादातर कच्ची बस्तियों में होता था। वहां पर विभिन्न प्रकार की मज़दूरी करने वाली महिलाएं भी रहती थीं।

एक रोज़ हमारे पास एक बंगाली परिवार आया और उन्होंने हमें अपनी बेटी के बारे में बताया। उनकी बेटी किसी घर में घरेलू कामगार थी, और चौबीसों घण्टे वहीं रहती थी। उसके पचपन वर्षीय मालिक ने लड़की के साथ बलात्कार किया। लड़की को सात माह का गर्भ था। हमने लड़की को बुलाया और पूछा कि वो क्या चाहती है। लड़की ने कहा, 'मैं मालिक के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हूं, ताकि जो मेरे साथ हुआ है, वो किसी और लड़की के साथ न हो।'

मालिक के ख़िलाफ़ थाने में में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई। वह बौखला गया और समझौता करके केस वापिस लेने के लिए दबाव बनाने लगा। लड़की का परिवार उसकी बातों में आ गया परन्तु लड़की अब नारी निकेतन में थी। मालिक तीन लाख रुपयों का चैक लेकर हमारे पास ऑफिस आया और केस को रफादफा करने के लिए कहा। पर हमने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार मालिक को छः माह की सज़ा हो गई। ज़िला कलेक्टर ने मुआवज़े के तौर पर लड़की को 25 हज़ार रुपये दिए। उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया।

यहीं से हुई घरेलू कामगार महिलाओं के बीच में हमारे काम की शुरूआत। हमें लगा जयपुर शहर में हज़ारों की संख्या में ऐसी लड़कियां व महिलाएं काम करती हैं। घरों के अन्दर उनके साथ क्या होता होगा? यह सब मन में चल रहा था। हमने घरेलू कामगारों का एक विस्तृत सर्वे *जागोरी* की मदद से किया। सर्वे के दौरान हमें बहुत सी कामगार महिलाओं से मिलने व बात करने का मौका मिला। बस्तियों में ग्रुप चर्चा रखी गई जिनमें महिलाओं ने खुलकर यौन शोषण की बातें सामने रखीं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी संगठन से

फ़ोटो: जागोरी

जुड़े न होने के कारण वे सब कुछ खामोशी से सहती रहती हैं।

ग्रुप चर्चा के दौरान हमने महिला संगठन और यूनियन के बारे में भी बातें की। सबकी सहमति से *राजस्थान महिला कामगार यूनियन* नाम रखा गया। यूनियन का नाम खुला इसलिए रखा गया क्योंकि हम बस्ती में काम करते हैं, उस दौरान हमारे पास दूसरा काम करने वाली महिलाएं भी अपनी समस्याएं लेकर आती हैं। उस समय हमारे सामने एक संकट होता है, हम उन महिलाओं को मना नहीं कर सकते कि हम उनकी मदद नहीं करेंगे। साधारण यूनियन होने से सभी कामगार महिलाएं यूनियन में शामिल हो सकती हैं।

फ़ोटो: जागोरी

धीरे-धीरे यूनियन का काम शुरू हुआ। शुरूआत में महिलाएं हम पर विश्वास नहीं करती थीं। इन कामगार महिलाओं पर चारों तरफ से दबाव था और इन दबावों के बीच वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करती हैं। हमने यह भी अनुभव किया कि एक बार समझ बन जाने के बाद ये पीछे नहीं हटती। धीरे-धीरे सब ठीक हो गया और औरतें हमारे साथ जुड़ने लगीं। अब यूनियन में 700 सदस्य हैं।

जयपुर शहर में तीन क्षेत्रों की घरेलू कामगार महिलाएं हैं। बिहार, कूचबिहार (प.बंगाल) व राजस्थान के अलग-अलग ज़िलों से पलायन करके ये महिलाएं रोज़गार की तलाश में जयपुर आती हैं। यहां आकर कूचबिहार की महिलाएं सीधा घरेलू कामगार का काम करती हैं। इनकी पहचान सीधे तौर पर इसी काम से जुड़ी हुई है और घर के काम के अलावा इन्हें दूसरा कोई काम नहीं आता।

राजस्थान व बिहार की महिलाएं निर्माण के क्षेत्र में भी कार्य करती हैं। वहां काम न मिलने पर ही ये घरेलू कामगार बनती है। ये औरतें अपनी पहचान को छुपाकर रखती हैं और अपना काम बदलती रहती हैं। दूसरे काम में ज़्यादा पैसे मिलने पर ये घर का काम छोड़ देती हैं। इसलिए इनके साथ कार्यस्थल पर ज़्यादा समस्याएं आती हैं। इन्हें दोनों ही तरह के काम का अनुभव नहीं हो पाता है।

तीनों क्षेत्रों के कामगारों का आपसी तालमेल बहुत कम है। जब से यूनियन ने इन महिलाओं के बीच काम करना शुरू किया है, तब से कुछ बदलाव आया है और सभी को एक मंच पर इकट्ठा होने व अपने मन की बात कहने का मौका मिला है।

हमारे समाज में कामगारों को संगठित होने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है जैसे क्षेत्र, भाषा, जाति, काम आदि। इस बंटवारे के कारण ये कमज़ोर पड़ जाती हैं और शोषण को चुनौती नहीं देतीं। इन्हें पता ही नहीं चलता कि इनके अधिकार क्या हैं तथा मालिकों की क्या ज़िम्मेदारी है। यूनियन में हमें इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कामगारों में यूनियन को अपना समझने का एहसास अभी पूरी तरह जागा नहीं है। उनमें ज़िम्मेदारी का भी अभाव है जिसे विकसित करने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी होगी।

जयपुर शहर में यूनियन अपनी पहचान बना चुका है। यूनियन ने घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित कराने में भी कामयाबी हासिल की है। सरकार अब घरेलू कामगारों के लिए कानून पर भी बात कर रही है। इसके अलावा कामगारों के बीच यूनियन का विस्तार हुआ है जिससे सदस्यों को सशक्तता मिलती है।

मेवा भारती जयपुर की एक कार्यकर्त्ता हैं जिन्होंने घरेलू कामगार महिलाओं को संगठित होने को प्रेरणा दी। इस लेख में मेवा भारती ने राजस्थान महिला कामगार यूनियन की शुरूआत के दौरान अपने अनुभव हमारे साथ बांटने का प्रयास किया है। मेवा ने निर्माण मज़दूर महिलाओं के साथ भी काम किया है।